"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 104] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2014— फाल्गुन 9, शक 1935

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-18/2013/32. — छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में निम्नलिखित और संशोधन करती है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 24 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाये, अर्थात् :-

" 24 (अ)-सक्षम प्राधिकारी, भवन अनुज्ञा हेतु विहित शुल्क के साथ आवेदन प्राप्त होने पर विहित समयावधि के दौरान अनुमोदित भवन योजना में किसी उपान्तरण की अनुज्ञा दे सकेगा, भवन अनुज्ञा में परिवर्तन निम्नलिखित भवन नियंत्रण परिमानक को छोड़कर किया जा सकेगा :-

(क) सामने का सीमांत खुला क्षेत्र.

(ख) भवन की ऊंचाई.

(ग) पार्किंग, सार्वजनिक उपयोग का स्थल."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 7-18/2013/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-2-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 28th February 2014

NOTIFICATION

No. F 7-18/2013/32. — In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government hereby, make the following further amendment in the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

After Rule 24 of the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984, the following Rule shall be added, namely :-

"24 (A) - The Competent Authority may allow any modification in the approved building plan during the prescribed time period after receiving an application along with the prescribed fees for building permission, the changes can be made for building permission, except in the following building control parameters :-

(a) Marginal Front open space.

(b) Building Height.

(c) Parking, public utility space."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMIT KATARIA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.